रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 8] नई दिल्ली, मार्च 8—मार्च 14, 2009, शनिवार/फाल्गुन 17—फाल्गुन 23, 1930
No. 8] NEW DELHI, MARCH 8—MARCH 14, 2009, SATURDAY/PHALGUNA 17—PHALGUNA 23, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 23.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 1983 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, में कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता	4*(2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	9300-34800 धन श्रेणी वेतन 4600/-	लागू नही होता	30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)
हां, परन्तु फायदा ऐसे कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगा जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2003 से पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया है और जो अपनी अधिवर्षिता तक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होते रहेंगे ।	**आवश्यक :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बेचेलर डिग्री या समतुल्य । (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में यथा परिभाषित ऐसा अधिवक्ता होना चाहिए जो न्यायालयों में मुकदमा संबंधी कार्य का तीन वर्ष का अनुभव रखता हो । (iii) यथास्थिति कलकत्ता या बम्बई या दिल्ली या बंगलौर के मूल और अपीली पक्ष पर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए हकदार होना चाहिए । **टिप्पण 1 :**—अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :**—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है । **वांछनीय :** किसी उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता,	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
सीधी भर्ती । **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर	लागू नहीं होता

(11)
रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात् :– (क) (i) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 6500—10500 रु. या समतुल्य के वेतनमान वाले पदों पर नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जिसके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं। **टिप्पण** — प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):— (i) विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, विधि कार्य विभाग में साधारण प्रशासन का भारसाधक —अध्यक्ष (ii) विधि कार्य विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले विधि कार्य विभाग में एक अन्य संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार —सदस्य (iii) उप सचिव/निदेशक, स्थापन का भारसाधक, विधि कार्य विभाग —सदस्य	पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-12018/1/2003-प्रशा. I (वि.का.)]

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— पूर्व में विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग (कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार अधिवक्ता) भर्ती नियम, 1983 सा.का.नि. सं. 474 तारीख 19 मई, 1984 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 651 तारीख 31 दिसम्बर, 1994 द्वारा उनमें संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 26th February, 2009

G.S.R. 23.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Legal Affairs) (Junior Central Government Advocates) Recruitment Rules, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Central Government Advocate in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) (Junior Central Government Advocates) Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay with respect to such post shall be as specified in the columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. Method of, and qualifications required for, recruitment.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Central Government Advocate	4* (Year 2009) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, (Group 'B') Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 9300-34800 Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972	Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Yes. But the benefit shall be admissible to the employees who entered into Government service on or before the 31st day of December, 2003 and who will continue to be governed by Central Civil Services (Pension) Rules 1972 till their superannuation.	**Essential :** (i) Bachelor's degree in Law of a recognized university or equivalent. (ii) Should be an Advocate as defined in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) with three years experience of litigation work in Courts. (iii) Must be entilted to act as an Advocate on the Original as well as Appellate Side of the High Court of Calcutta or Bombay or Delhi or Madras or Bangalore, as the case may be. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing in the case of candidate belonging to the Schedule Castes and the Schedule Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them. **Desirable :** One year's experience of practice in a High Court.	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation or absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment. **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department; or (ii) with two year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/Department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 8. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) (i) Special Secretary/Additional Secretary/ Joint Secretary and Legal Adviser. In-charge of General Administration in the Department of Legal Affairs as Chairman (ii) Another Joint Secretary and Legal Adviser in the Department of Legal Affairs to be nominated by the Secretary in the Department of Legal Affairs as Member (iii) Deputy Secretary/Director Incharge of Establishment, Department of Legal Affairs as Member	Consultation of Union Public Service Commission is necessary for filling up of post.

[F. No. A-12018/1/2003-Admn. I (LA)]
V. RAVINDRAN, Under Secy.

Footnote:— The earlier rules of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Legal Affairs (Junior Central Government Advocate) Recruitment Rules, 1983 were published vide G.S.R. No. 475 dated the 19th day of May, 1984 and Amendment : G.S.R. No. 651 dated the 31st day of December, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.